दिनांक 02.11.2017 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में कृषि विभाग विकास भवन, पटना के सभा कक्ष में कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की कृषि की उपसमिति की बैठक की कार्यवाही।

1. उपस्थिति : पंजी में संधारित।
2. सहायक महाप्रबंधक, बिहार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति संयोजक भारतीय स्टेट बैंक, पटना द्वारा दिनांक 02.11.17 को एस० एल० बी० सी० की कृषि की उप समिति की बैठक के आयोजन हेतु कृषि विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रेषित पत्र सम्बन्धित बैंकों के प्रधान कार्यालय को समय पर उपलब्ध नहीं कराये जाने के लिए एस० एल० बी० सी० द्वारा खेद व्यक्त किया गया तथा भविष्य में इस पर ध्यान रखने की सूचना दी गई।

   (कार्रवाई–सहायक महाप्रबंधक, एस० एल० बी० सी०, पटना)
3. सहायक महाप्रबंधक, बिहार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति संयोजक भारतीय स्टेट बैंक, पटना द्वारा बतलाया गया कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में कृषि प्रक्षेत्र अन्तर्गत वार्षिक साख योजना (ACP) का 49000 करोड़ रूपये का लक्ष्य है जिसके विरूद्ध 19797 करोड़ रूपया की उपलब्धि है जो लक्ष्य का करीब 40% है। गत वर्ष भी ACP अन्तर्गत सितम्बर 2016 तक करीब 40–41% उपलब्धि हुई थी।
4. सहायक महाप्रबंधक, एस० एल० बी० सी० द्वारा बतलाया गया कि राज्य में कुल किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारक कृषकों की संख्या 61 लाख के करीब है। कृषि विभाग के प्रतिनिधि द्वारा बतलाया गया कि राज्य में कुल किसानों की संख्या करीब 161 लाख है जबकि 61 लाख किसान ही के० सी० सी० योजना अन्तर्गत आच्छादित किए गए हैं। उन्होंने शेष किसानों को इस योजना अन्तर्गत आच्छादित नहीं किए जाने के कारणों के बारे में बैंक अधिकारियों से जानकारी ली। कुछ बैंक अधिकारियों द्वारा के० सी० सी० धारक कृषकों की संख्या कम होने का कारण भूधारिता प्रमाण पत्र (LPC) का duplication/जमीन पूर्वज के नाम पर होना, समय पर भू–धारिता प्रमाण पर उपलब्ध नहीं होना इत्यादि बतलाया गया।
5. कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (के० सी० सी०) खाता को आधार नम्बर से लिंक (Link) कर बेवसाईट पर डालने का निदेश दिया गया। 50 हजार रूपये तक के० सी० सी० ऋण की स्वीकृति हेतु भूधारिता प्रमाण पत्र (LPC) की आवश्यकता नहीं है। अतः 50 हजार तक के० सी० सी० ऋण की स्वीकृति में परेशानी नहीं होनी चाहिए। कुछ बैंक अधिकारियों द्वारा जमीन के सम्बन्ध में एक Affidavit कृषकों से लेने की जानकारी दी गई। कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा बतलाया गया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना अन्तर्गत अधिकांशतः कृषकों का बैंक खाता खुल गया है। अतः जमीन के हिसाब से उत्पादन किए जाने वाले फसल का Scale of Finance के अनुसार ऋण की गणना कर ऋण को स्वीकृत किया जाय।
6. डेयरी अन्तर्गत दिनांक 30.09.17 तक 3178 करोड़ लक्ष्य के विरूद्ध 290.71 करोड़ स्वीकृत किया गया है। कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा इस पर खेद व्यक्त किया गया। उन्होंने ऋण की स्वीकृति कम होने के कारणों की जानकारी ली। पशुपालन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा बतलाया गया कि गाय/बकरी/भेंड़ इत्यादि के क्रय के लिए 50% अनुदान है। बैंकों में आवेदन भेजे जाने पर ऋण

की स्वीकृति में विलम्ब होता है तथा कम आवेदन स्वीकृत किए जाते हैं। लाभुकों को अनुदान भुगतान के संबंध में कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि पशुपालन विभाग अनुदान की राशि Electronic Form में Online Claim ट्रेजरी बैंक को भेजें तथा ट्रेजरी Online बैंक को भेजे। अनुदान राशि के भुगतान में विलम्ब होने के कारण किसान को क्षति होती है।

(कार्रवाई – पशुपालन विभाग, बिहार, पटना)

7. पशुपालन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि वर्ष 2015–16 में 704 आवेदन बैंक को भेजे गए थे जिसमें मात्र 29 स्वीकृत किया गया। वर्ष 2017–18 में 60 आवेदन में एक आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। सहायक महाप्रबंधक, एस० एल० बी० सी० द्वारा बैंकों को भेजे गए वर्षवार आवेदन का विवरण Word/Excel Sheet में एस० एल० बी० सी० को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया ताकि सम्बन्धित बैंकों से की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली जा सके।

(कार्रवाई – पशुपालन विभाग, बिहार, पटना)

8. Fishery Unit अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में दिनांक 30.09.17 तक 76250 लाख रूपये लक्ष्य के विरूद्ध स्वीकृत आवेदनों की संख्या 169 एवं राशि 696 तथा वितरित आवेदन की संख्या 171 एवं राशि 615 लाख रूपया है। उपलब्धि 1% के करीब है।

कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा बताया गया कि राज्य में मछली अन्य राज्य आन्ध्र प्रदेश से आ रहा है। राज्य में मत्स्य पालन की संभावना काफी अधिक है। उन्होंने इस योजना अन्तर्गत कम ऋण स्वीकृति पर असंतोष व्यक्त किया तथा इसके कारणों की जानकारी ली। कुछ बैंक अधिकारियों द्वारा ऋण की स्वीकृति कम होने का कारण किसानों द्वारा जमीन को बंधक/लीज करने पर सहमत नहीं होने की जानकारी दी गई। एस० एल० बी० सी० को कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि बैंक शाखाओं से प्रतिवेदन प्राप्त कर ऋण स्वीकृत कराया जाय।

(कार्रवाई–एस० एल० बी० सी०, पटना
मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना)

9. वष 2017–18 में दिनांक 30.09.2017 तक Poultry Unit अन्तर्गत 1271 करोड़ रूपये लक्ष्य के विरूद्ध 88 करोड़ रूपया ऋण स्वीकृत किया गया है। कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा कम ऋण स्वीकृत होने के कारणों की जानकारी बैंक अधिकारियों से ली गई। उन्होंने आवेदन को विश्लेषित (Analyse) करने तथा ऋण की स्वीकृति हेतु सकारात्मक कार्रवाई करने का सुझाव दिया। एस० एल० बी० सी० के प्रतिनिधि द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में Poultry Unit अन्तर्गत उपलब्धि अच्छी होने की संभावना बताई।

(कार्रवाई–एस० एल० बी० सी०, पटना)

संयुक्त कृषि निदेशक, अभियंत्रण द्वारा बताया गया कि केन्द्र प्रायोजित योजना SMAM अन्तर्गत कस्टम हायरिंग हेतु विभिन्न जिलों में कृषि यंत्र बैंक की स्थापना से सम्बन्धित आवेदन पर बैंकों द्वारा कुछ जिलों में ऋण स्वीकृत नहीं किए गए हैं। जिलावार/बैंकवार लम्बित आवेदनों की जानकारी दी गई। बैंकों में लम्बित आवेदनों का जिलावार/बैंकवार प्रतिवेदन आवश्यक कार्रवाई हेतु सहायक महाप्रबंधक, एस० एल० बी० सी० को भेजने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई– एस० एल० बी० सी०, पटना
सयुंक्त कृषि निदेशक(अभियंत्रण), बिहार, पटना)

10. कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा बताया गया कि योजनाओं में लाभुकों को अनुदान की राशि DBT के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है। अगर विभिन्न योजना अन्तर्गत ऋण की स्वीकृति हेतु आवेदन आता है तो सम्बन्धित बैंक अधिकारी उस पर शीर्घ निर्णय लें। अगर बैंक अधिकारी आवेदन, संचिका में रखे हुए हैं उस पर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, अडंगा लगा रहे हैं तो यह भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। इसलिये प्राप्त आवेदन पर शीघ्र निर्णय लें। विभिन्न योजनाओं में ऋण की स्वीकृति संबंधित दिशा निर्देश का अनुपालन करें तथा उस पर निर्णय लें। किसान के हित में कार्य करें। साथ हीं एस० एल० बी० सी० की उप समिति की बैठक में बैंकर्स आते हैं तो वे अपने बैंकों के शाखाओं से यह जानकारी प्राप्त कर आयें कि किस योजना का कितने आवेदन प्राप्त हुए एवं स्वीकृत हुए अगर स्वीकृत नहीं हुए तो क्या कारण है।

(कार्रवाई– एस० एल० बी० सी०, पटना)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

ह०/–

कृषि उत्पादन आयुक्त
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6879 दिनांक : 20-11-17

प्रतिलिपि : सहायक महाप्रबंधक, बिहार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, संयोजक, भारतीय स्टेट बैंक, ग्रामीण व्यवसायी ईकाई –1, स्थानीय प्रधान कार्यालय, पांचवा तल्ला, पश्चिमी गाँधी मैदान, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, नवार्ड, मौर्यालोक कम्पलेक्स ब्लॉक बी, चौथी एवं पांचवी तल्ला, डाक बंगला रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.11.17

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6879 दिनांक : 20-11-17

प्रतिलिपि : निदेशक, पशु एवं मत्स्य विभाग, बिहार/निदेशक, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, डेयरी विकास, बिहार/निदेशक, उद्यान, बिहार/उप महाप्रबंधक, कम्फेड, बिहार/निदेशक, पी0पी0एम0, बिहार/संयुक्त निदेशक(अभियंत्रण), बिहार, पटना/ संयुक्त कृषि निदेशक(सा०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकरी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, बिहार, पटना/उप निदेशक(शष्य), सूचना, बिहार, पटना/ उप निदेशक(शष्य), पी0पी0एम0 कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.11.17

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6879 दिनांक : 20-11-17

प्रतिलिपि : उप सचिव, वित्त(सांस्थिक वित्त) विभाग, ललित भवन, बेली रोड, पटना/प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

20.11.17

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।